प्रकरण संख्या 69/2022 भैरूलाल बनाम प्रेमशंकर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.11.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रूपावली में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में परिशिष्ट ''अ'' की साबिक आराजी नंबर 343, 334/2, 344/5 किता 3 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा कना पिता धर्मा कुलमी के खातेदारी में अंकित थी, जिसके हाल आराजी नंबर 485, 486 किता 2 रकबा 0.8800 हैक्टर बने हैं। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ब'' की साबिक आराजी नंबर 332 किता 1 रकबा 5 बिस्वा आ.चा. में कना पिता धर्मा कुलमी का 1/5 हिस्सा अंकित था, जिसके हाल आराजी नंबर 493 रकबा 0.0500 हैक्टर बने हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 2 में मौजा वल्लभनगर की साबिक आराजियात कुल किता 11 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में कना पिता कुलमी के खातेदारी में दर्ज थी, जिसके हाल आराजी नंबर कुल किता 14 रकबा 1.2800 हैक्टर बने। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर कनाजी की शादी शुदा पत्नी सलुबाई थी, जिसका पुत्र वादी है व दो पुत्री मेघी व हुडी हुई जो प्रतिवादी संख्या 4 व 5 हैं। कनाजी की नातायत पत्नी सुन्दर बाई है, जिसका पुत्र भूरालाल फोत हो चुका है, जिसकी विधवा प्यारी है एवं पुत्र प्रेमसिंह व पुत्री हिना है, जो क्रमशः प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व भूरा की विधवा सुन्दरबाई प्रतिवादी संख्या 7 हैं। कना के निधन पर पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 4455 दर्ज करते समय कना की दोनों पत्नियों सलुबाई व सुन्दरबाई का एक ही हिस्सा मानना चाहिए था, लेकिन पटवारी हल्का ने कना के वारिसान के रूप में पुत्र भैरूलाल, पुत्रियां मेघीबाई व हुड़ीबाई एवं पुत्र भूरा के निधन हो जाने से उसके वारिस प्रेमशंकर, हिना व पत्नी प्यारीबाई एवं कना की दोनों पत्नियां सलुबाई एवं सुन्दरबाई के नाम हिस्सा बराबर खोल दिया, जो शून्य प्रभावी है ऐसे अवैध नामान्तरकरण से प्रेमशंकर, प्यारीबाई, हिना एवं सुन्दरबाई को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 1 व 2 वाली आराजियात में वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:04 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 4 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का 1/5 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने रजिस्टर्ड हक त्याग वादी के पक्ष में त्याग दिया है तथा सलुबाई ने भी अपना रजिस्टर्ड हक त्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। इस प्रकार कलम संख्या 1 व 2 में वादी का 7/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 का 1/10 हिस्सा है, लेकिन राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 7 प्रतिवादी संख्या 8 को रहन बक्षीस करने पर आमादा हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात में वादी को 7/10 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 7 व 8 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि वादी स्वयं ने अपने वाद में प्रतिवादी संख्या 4 से 6 का 1/6 हिस्सा होना स्वीकार करते हुए अपने पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग होने का कथन किया है तथा इसके बाद वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 से 6 का किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं होने का कथन किया है। इस स्थिति में वादी का वाद विबंधन के कानूनी सिद्धान्त से बाधित होने से चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 12.09.2022 से प्रतिवादी का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद मेन्टेनेबल नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 19.09.2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया [illegible] रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये [illegible] 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल [illegible] हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से राजकीय अभि[illegible]क श्री कमलेश चौहान

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:04 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह माना कि वादी को नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी, जो नहीं करने से वाद पोषणीय नहीं है, जबकि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। पक्षकारों के अधिकार नियमित वाद से ही तय होते हैं। प्रतिवादी संख्या 7 कना की अवैध पत्नि होने से कना की सम्पत्ति में उसे कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रतिवादी संख्या 8 अजनवी क्रेता है, जिसने दौराने वाद भूमि का हिस्सा गलत क्रय किया है। जब तक मोहनलाल के विक्रेता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक अधिकार स्थापित नहीं होते हैं तब तक मोहनलाल के पक्ष में किया गया विक्रय वाद के लम्बित रहने के सिद्धान्त एवं बिना अधिकार के होने से उन्हें वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु की ओर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वाद में आगामी कार्यवाही हेतु प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 में विवादित आराजियात कना पिता धर्मा कुलमी के नाम दर्ज होकर नामान्तरकरण संख्या 4455 दिनांक 05.10.2012 से विरासत से भैरूलाल, मेघीबाई, हुड़ीबाई पिता कना 1/2, प्रेमशंकर, हिना पिता भूरालाल, मु. प्यारीबाई बेवा भूरालाल 1/6, प्रेमशंकर, हिना पिता भूरालाल, सल्लूबाई, [illegible] बेवा कना 1/3 दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। [illegible] ने उक्त नामान्तरकरण को [illegible] आराजियात में अपने हक हिस्से अनुसार 7/10 हिस्से की खातेदारी चाही है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:04 IST
Reason: SelfAttested

लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि ''वादी को हक त्याग के समय संज्ञान में आते ही नामान्तरकरण की अपील करनी चाहिए था, परन्तु भी वादी द्वारा नामान्तरकरण की अपील नहीं कर वादग्रस्त भूमि में माता एवं बहनों के हिस्से को सही होना मानकर हकत्याग करवाकर अपने नाम दर्ज करवायी है। इससे स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा विरासत से दर्ज भूमि में कन्ना के वारिसों के हिस्सों को सही मान लिया गया था। उसके पश्चात् भी वादी द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है जो बिवंधन के कानूनी सिद्धान्त अनुसार बाधित होने से खारिज योग्य है।'' अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन उचित प्रतीत नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर तत्पश्चात् तनकियात कायम कर निर्णय पारित करना चाहिए था। आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के आधार पर वादी का वाद विबंधन के कानूनी सिद्धान्त से बाधित मानकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज किया जाना प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण की साक्ष्य लेकर एवं उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.12.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
[illegible]न्ध अधिकारी
एवं [illegible]न [illegible]व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:04 IST
Reason: SelfAttested